लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 26

18 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

घटिया कोयले की खरीद

26. श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेल और मेसर्स वेरिस क्रीक (दिसंबर 2014 तक वैध) के बीच हस्ताक्षर किया गया एलटीए यह गारंटी देता है कि विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले में कुल नमी क्रमशः 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत तक होनी चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि सेल ने मेसर्स वेरिस क्रीक से घटिया गुणवत्ता वाला कोयला खरीदा है क्योंकि जनवरी, 2015 से प्रभावी उनके साथ हस्ताक्षर किए गए नए समझौते में नमी की गारंटी दी गई थी और कुल नमी सीमा में संशोधन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि ये मापदंड जुलाई, 2014 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे जिससे राजकोष में करोडों रुपयों का नुकसान होगा; और

(घ) यदि हां, तो सेल के प्रबंधन के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ग): सेल की सूचना के अनुसार पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीएल) की खरीद के लिए दिनांक 06.08.2008 का दीर्घावधिक करार (एलटीए) संख्या 706/2008 दिसंबर, 2014 तक वैध था। सेल ने यह सूचित किया है कि उसने मैसर्स वैरिस क्रीक से घटिया गुणवत्ता का कोयला नहीं खरीदा है। नए करार में नमी के घटक को संशोधित कर दिया गया था। सेल ने पुनः कहा है कि घटिया गुणवत्ता का कोई कोयला नहीं खरीदा गया था और जुलाई-सितंबर 2014 के लिए आपूर्ति की शर्तों में जुलाई 2014 से प्रभावी परिवर्तन जून 2014 में किए गए समझौते के अनुरूप था।

(घ): उपर्युक्त (क) से (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

****